भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. इ सी आई/प्रे.नो./67/2015 दिनांकः- 16 दिसम्बर, 2015

भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआई डी ई एम) तथा अंतर्राष्ट्रीय आइरडिया (लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहयोग हेतु संस्थान) द्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति।

राजनीति में धन के प्रयोग तथा जन प्रतिनिधित्व पर इसके प्रभाव पर क्षेत्रीय सम्मेलन
नई दिल्ली, भारत, 15-16 दिसम्बर, 2015

15 तथा 16 दिसम्बर, 2015 को नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग, अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए तथा भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआई डी ई एम) के साथ "राजनीति में धन के प्रयोग तथा जन प्रतिनिधित्व पर इसके प्रभाव" पर संयुक्त रूप से आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आज समाप्त हो गया। डॉ. नसीम जैदी, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा श्री बायब्स लिटरमी, अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के महा सचिव, जी बेल्जियम के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, के द्वारा क्षेत्रीय सम्मेलन का संयुक्त रूप से कल उद्घाटन किया गया था। सम्मेलन में श्री ए.के. जोती और श्री ओ.पी. रावत, भारत के निर्वाचन आयुक्तों ने भी भाग लिया।

नई दिल्ली में "राजनीति में धन के प्रयोग तथा जन प्रतिनिधित्व पर इसके प्रभाव" पर क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. नसीम जैदी, निर्वाचन आयुक्त श्री ए.के. जोति एवं श्री ओ.पी. रावत साथ में अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के क्षेत्रीय निदेशक सुश्री लीना रिक्किला तमांग, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. एस वाई कुरैशी, एवं महानिदेशक श्री सुदीप जैन।

अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के महासचिव श्री वायव्स लीटरमी, बेल्जियम के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने अपने स्वागत भाषण में गंभीर चिंताओं को रखते हुए चर्चा के द्वार खोल दिये; उन्होने कहा "राजनीति में धन के नकारात्मक प्रभाव का प्रश्न सर्वदा ही गंभीर रहा है। क्यों? क्योंकि यह लोकतंत्र की नींव के लिए ही चुनौती है। राजनैतिक प्रक्रिया में धन कई स्तरों से होकर गुजरती हैं, जो पार्टी के वित्तपोषण से लेकर प्रचार अभियान के अंशदानों एवं अभ्यर्थी के व्ययों को दूषित कर रही है। समस्याओं में अन्यों के साथ-साथ पदधारियों द्वारा राज्य निधि का दुरूपयोग; नीति निर्धारकों को प्रभावित करने वाले आपराधिक धन; तथा धन्नासेठों के छोटे समूहों व्यक्तियों या बड़े निगमों का अंशदानों के माध्यम से राजनीति को अपने कब्जे में लेना शामिल है। यह भाषण और प्रारूप घोषणा से सभी भाग लेने वाले राष्ट्रों को एक मजबूत संरचना तैयार करने के लिए विचार करने में मदद मिलगी।

राजनीति में धन के इस्तेमाल और लोगों के प्रतिनिधित्व पर इसके प्रभाव पर क्षेत्रीय सम्मेलन, जिसका अंतर्राष्ट्रीय आइडिया और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया गया था, हितधारकों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर मुद्दों एवं समाधानों पर विचार-विमर्श करने का एक प्रथम प्रयास था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों में मि. अहमद सुलेमान, चेयरमैन, मालदीव निर्वाचन आयोग, डॉ. अयोदी प्रसाद यादव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नेपाल, दाशो कुनजांग वांगडी, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भूटान, मि. अहमद बिलाल मेहबूब, प्रेजीडेंट, पाकिस्तान इन्स्टीयूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपैरेंसी (पीआईएलडीएटी), मि. इब्राहिम गफूरी, निदेशक, लोकतंत्र एवं मानवाधिकार, दक्षेस सचिवालय और डॉ. सैमुअल रत्नजीवन हर्बर्ट हूले, श्रीलंका निर्वाचन आयोग, शामिल थे। अन्य प्रतिभागियो में भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधिगण, दक्षिण एशिया के निर्वाचन प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधिगण, भारत के पूर्ववर्ती मुख्य निर्वाचन आयुक्तगण, श्री नवीन चावला, डॉ. एस.वाई कुरैशी, श्री वी.एस. सम्पत, श्री एच.एस. ब्रह्मा जैसे विभिन्न हितधारक शामिल थे।

सत्र की समाप्ति पर सम्मेलन के प्रतिभागीगण इकट्ठे होकर आगे आए और एक प्रारूप घोषणा प्रस्तुत की। प्रारूप में राजनीतिक वित्त विनियमों पर सिफारिशें, विनियामकीय फ्रेमवर्क में बच निकलने के रास्तों को किस प्रकार बंद करें और सभी हितधारकों के साथ प्रयासों का समन्वयन करना, शामिल थे। घोषणा में इस बात पर भी मार्गदर्शन दिया गया है कि समान सहभागिता किस प्रकार सुनिश्चित की जाए और यह माना गया है कि विशेषकर महिलाएं धन और निधियों की सुलभता से उत्पन्न बाधाओं का सामना करती हैं।

डॉ. नसीम ज़ैदी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सम्मेलन के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की और द्विद्सीय सम्मेलन से मिले आखिरी निष्कर्ष को पेश किया। विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरणों और प्रतिभागियों द्वारा सक्रिय रूप से विचार-विमर्श किए जाने के परिणामस्वरूप दक्षिण एशिया में राजनीतिक वित्त विनियमन के लिए घोषणा को अंतिम रूप दे दिया गया।

घोषणा, **राजनीतिक वित्त पर नई दिल्ली घोषणा, 2015** में वे व्यापक सिद्धांत अभिचिह्नित किए गए हैं जिनके क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक वित्त विनियम एवं प्रमुख दिशा-निर्देश बनाते समय पालन किया जाना है।

सुश्री लीना रिक्कीला तमांग, क्षेत्रीय निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय आई.डी.ई.ए. ने लोकतंत्र में महिला-पुरूष पक्षपात के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, "[धन] अभ्यर्थियों एवं सक्रिय दलीय सदस्यों के रूप में उनकी प्रतिभागिता को सीमित कर देता है। विनियमों को राजनीतिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता को सुकर करना चाहिए।"

प्रारूप घोषणा पेश करते समय, अपने समापन भाषण में डॉ. नसीम जैदी ने कहा कि "नई दिल्ली घोषणा 2015" एक ऐतिहासिक दस्तावेज है और यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में निर्वाचन प्रबंधन निकायों द्वारा राजनीतिक वित्त परिपाटियों को आगे और विकसित करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

घोषणा में व्यापक सिद्धान्त जैसे समग्र विनियम, विनियमों की उपयुक्तता, महिलाओं की प्रतिभागिता को सुकर करना और अन्य हितधारकों के साथ समन्वयन, को शामिल किया गया है।

घोषणा में प्रतिपादित विनियामकीय दिशा-निर्देशों में खर्च करने के तर्कसंगत स्तरों, निजी योगदानों का विनियमन, राज्यीय संसाधनों का दुरूपयोग, प्रवर्तन, अनुपालन एवं रिपोर्टिंग अपेक्षाएं जैसे विषय शामिल किए गए हैं।

ह./-
धीरेन्द्र ओझा
निदेशक